

00345

**M.A. IN GANDHI AND PEACE STUDIES**

**Term-End Examination**

**June, 2018**

**MGPE-012 : WOMEN AND PEACE**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

---

*Note : Answer any five questions in about 500 words each. Attempt at least two questions from each Section. Each question carries 10 marks.*

---

**SECTION - I**

1. Examine the effects of globalisation and liberalisation on women.
2. "Human beings can become human and humane only in conditions of peace". Comment.
3. Describe the position of women in Christianity and Islam.
4. Write a note on gaps in knowledge on gender and peace building.
5. Discuss the nature of violence against women in developed and developing countries.

## SECTION - II

6. Explain the linkage between environment and development.
  7. Analyse the various efforts of the United Nations to empower women.
  8. Write short notes on :
    - (a) Eco - Feminism
    - (b) SEWA
  9. Analyse the significance of UN Resolution 1325.
  10. Write short notes on :
    - (a) Hindu Marriage Act
    - (b) Terrorism
-

एम.ए. ( गाँधी और शांति अध्ययन )

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

एम.जी.पी.ई.-012 : महिलाएँ और शांति

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। हर एक खंड में से कम से कम दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

खंड - I

1. महिलाओं पर वैश्वीकरण और उदाररीकरण के प्रभावों का परीक्षण कीजिए।
2. 'मनुष्य शांति की परिस्थितियों में ही सिर्फ मानव व मानवीय बन सकता है।' टिप्पणी कीजिए।
3. इसाई व इस्लाम धर्मों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए।
4. जेन्डर व शांति निर्माण के ज्ञान में जो अंतराल हैं उन पर एक नोट लिखिए।
5. विकसित और विकासशील देशों में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा पर चर्चा कीजिए।

## खंड - II

6. पर्यावरण व विकास के बीच अंतरसंबंधों की व्याख्या कीजिए।
  7. महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।
  8. लघु नोट लिखिए :
    - (a) पारिस्थितिकी महिलावाद
    - (b) सेवा (SEWA)
  9. संयुक्त राष्ट्र के 1325 संकल्प के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
  10. लघु नोट लिखिए :
    - (a) हिन्दु विवाह अधिनियम
    - (b) आतंकवाद
-